[2018] 14 एस. सी. आर 1152

शांतमल्लेशप्पा

बनाम

कर्नाटक राज्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 1583-1584 /2018

10 दिसंबर, 2018

[उदय उमेश ललित और आर. सुभाष रेड्डी, जे. जे।]

दंड संहिता, 1860 -धारा 436 सहपठित धारा 34 - अभियोजन मामला यह था की अभियुक्त सं,-१ अभियुक्त सं-2 से 4 के साथ पीडब्लू-1 (आरोपी नं. 1 की साली) के घर के सामने स्थित छप्पर वाले शेड पर मिट्टी का तेल फेंका और आग लगाने के बाद, सभी आरोपी मोटर साइकिल पर घटनास्थल से भाग गए - ट्रायल कोर्ट ने सभी चार अभियुक्तों को धारा ४३४ सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और आरोपी संख्या 1 पर 10,000रू का और आरोपी संख्या-2 से 4 को 5,000 रुपया का जुर्माना लगाया-उच्च न्यायालय ने अभियुक्त नं. 1 की सजा मे वृद्धि करते हुए छह महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास और Rs.50,000/- का जुर्माना की सजा दी और आरोपी संख्या 2से 4 की दोषसिद्धि को निरस्त कर दिया-अपील मे अभिनिर्धारित किया गया की अभियुक्त नं. 1 और पीडबल्यू 1 के पति के बीच पूर्व से दीवानी विवाद लंबित थे और इससे पहले भी उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं-इस तरह के विवादों और एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतों को देखते हुए, झूठी शिकायत करके आरोपी को फंसाने की संभावना थी-अभियोजन पक्ष की ओर से पेश मौखिक साक्षियों के साक्ष्य में भौतिक विरोधाभास था और पीडब्लू-1 से 3, इच्छुक गवाहो की गवाही को छोड़कर, किसी अन्य स्वतंत्र गवाह ने घटना के बारे मे प्रत्यक्ष गवाह के रूप में गवाही नहीं करायी गई थी-

पीडब्लू-1 और 2 ने पीडब्लू-3 की उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा था और जबकि, पीडब्लू-3 ने कहा था कि वह पीडब्लू-1 और 2 की पुकार सुनकर भी बाहर आई थी-इसके अलावा, पीडब्लू-1 और 2 ने कहा था कि किताबें और कपड़े जला दिए गए थे, जो महाजार में दर्ज बयान के विपरीत था,जिसमे केवल पंखा एवं छत के आंशिक रूप से जलने की बात काही गयी थी| पीडबल्यू 7 ने यह स्वीकार किया की शेड मे कोई रह नहीं रहा था जो पीडबल्यू 2और 3 का विरोधाभासी है जिनहोने यह कहा की पीडबल्यू 1,उसके पति और बच्चे उस शेड मे रह रहे थे-ये भौतिक विरोधाभासी तथ्य विचरण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान मे नहीं रखे गए जिसके चलते गलत निर्णय दिये गए -अतः अपीलीय निर्णय को निरस्त किया गया|

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अवधारित किया - 1.1 स्वीकृत तथ्य है की यह घटना रात्री लगभग 09:30 बजे हुई उस समय पर्याप्त रोशनी नहीं थी, तब आरोपी की पहचान करना संभव नहीं था। यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि गवाह ने आरोपी व्यक्तियों को आग से निकलने वाली रोशनी में देखा था। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य और महाजार की सामग्री में भौतिक विरोधाभास हैं। बयान में, पीडब्लू-1 और 2 ने कहा है कि किताबें और कपड़े जलाए गए थे, महाजार में दर्ज बयान के विपरीत जिसमें केवल पीठ के पंखे और छत को आंशिक रूप से जलाया गया है। महाजार के मसौदे में, किताबों और कपड़ों को जलाने के बारे में कोई फुसफुसाहट नहीं है, और गवाहों के साक्ष्य में पंखे को जलाना स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। अभियोजन पक्ष का मामला है कि आरोपी फूस के शेड में आग लगाने के बाद मोटर साइकिलों पर भाग गए, लेकिन पंजीकरण संख्या आदि से किसी भी मोटर साइकिल की पहचान नहीं थी। पीडब्लू-2 घटना के समय पीडब्लू-3 की उपस्थिति के बारे में भी चुप है।

1.2 अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी पारिवारिक संपत्तियों के संबंध में भाइयों के बीच दीवानी विवाद लंबित थे और अभिलेख पर साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि घटना की तारीख से दो-तीन दिन पहले दोनों भाइयों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज किए गए ऐसे विवादों और शिकायतों को देखते हुए, झूठी शिकायत करके आरोपी को फंसाने की संभावना है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीडब्लू-1 ने अपने बयान में यह बिल्कुल नहीं कहा है कि घटना के समय P.W.-3 घर से बाहर आया है। पीडब्लू-1 और 2 के साक्ष्य के विपरीत, जिन्होंने पीडब्लू-3 की उपस्थिति के बारे में बात नहीं की है, पीडब्लू-3 ने मौखिक साक्ष्य में कहा है कि वह घटना की तारीख को पीडब्लू-1 और 2 के रोने पर भी सामने आई है और घटना की गवाह है।

2. जिरह में, पीडब्लू-7-सहायक उप-निरीक्षक ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि शेड में कोई नहीं रह रहा था और आवासीय घर अलग है लेकिन बच्चे पढ़ाई के लिए शेड का उपयोग कर रहे थे। पीडब्लू-7 का कहा गया साक्ष्य इसके विपरीत है पीडब्लू-2 और 3 के साक्ष्य में कहा गया है कि पीडब्लू-1, उनके पति और बच्चे शेड में रह रहे थे। यह साबित करने के लिए कि पीडब्लू-1 से 3 गांव में रह रहे थे और जबकि विचाराधीन शेड पीडब्लू-1 के पति के फार्महाउस में स्थित है, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में दस्तावेजी साक्ष्य दायर किया गया था और कहा गया था कि दस्तावेजों को प्रदर्श डी1 से डी4 के रूप में चिह्नित किया गया था। यद्यपि उक्त दस्तावेज प्राप्त हुए थे और उन्हें संदर्भित किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता है।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में भौतिक विरोधाभास हैं और इसके अलावा, पीडब्लू-1 से 3 की इच्छुक गवाही को छोड़कर, किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति से घटना के प्रत्यक्ष गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गयी है। पीडब्लू-1 से 7 तक के साक्ष्य और अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर दस्तावेजी साक्ष्य में भौतिक विरोधाभासों

को देखते हुए, जिस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता है, निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गंभीर त्रुटि की है कि अभियुक्त संख्या-1 ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 436 के तहत दंडनीय अपराध किया है। ऊपर उल्लिखित भौतिक विरोधाभासों पर निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी के खिलाफ उसके खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करने और सजा देने के लिए विकृत निष्कर्ष निकले।अभिलेख पर सम्पूर्ण साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, और मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यदि विवादित निर्णयों को कायम रहने दिया जाता है, तो यह न्याय की विफलता का कारण बन जाएगा, इस प्रकार, विवादित निर्णयों को निरस्त किया जा सकता है।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2018 की आपराधिक अपील संख्या 1583-1584।

2011 की आपराधिक अपील संख्या 531 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से 2011 की आपराधिक अपील संख्या 248।

आनंद संजय एम. नुली, धर्म सिंह, सूरज कौशिक, नंद कुमार के. बी., प्रवाल मिश्रा, मेसर्सनुलीऔरनुली,अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

वी. एन. रघुपति, परीक्षित पी. अंगड़ी, लगनेश मिश्रा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इन आपराधिक अपीलों को अभियुक्त नं.1, कर्नाटक राज्य में चामराजनगर ग्रामीण पुलिस स्टेशन की फाइल पर दर्ज अपराध में, विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, चामराजनगर द्वारा 2009 के सत्र मामले में पारित 17 जनवरी 2011 के फैसले में दर्ज की गई दोषसिद्धि और दी गई सजा से व्यथित है और 2011 की आपराधिक अपील में

उच्च न्यायालय का फैसला बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 2011 की आपराधिक अपील में पारित किया गया है।

3. अभियुक्त सं उपरोक्त अपराध में 1 से 4 तक पर भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 34 के साथ पठित धारा 436 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। चामराजनगर के विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 436 के तहत अपराध के लिए सभी चार अभियुक्तों को दोषी ठहराया है और दोषी नं.1 और अभियुक्तों पर 5,000/- रुपये का जुर्माना लगाया। 2 से 4, चूक में, एक महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरना।

4. अभिलिखित दोषसिद्धि और लगाए गए जुर्माने से व्यथित होकर अभियुक्तों ने 2011 की आपराधिक अपील दायर की है और कर्नाटक राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष सजा बढ़ाने की मांग करते हुए 2011 की आपराधिक अपील दायर की है। उच्च न्यायालय ने 28 जून 2017 के निर्णय द्वारा अभियुक्त द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से अभिलिखित दोषसिद्धि और अभियुक्तों पर लगाए गए जुर्माने को दरकिनार करते हुए स्वीकार कर लिया। 2 से 4 तक और अभियुक्त नं. 2 पर दंडादेश अधिरोपित करके राज्य की अपील को अनुमति दी। 1 छह महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरना और रु॰ 50,000/- का जुर्माना देना और जुर्माने का भुगतान करने में चूक करने पर अभियुक्त सं 1 को डेढ़ महीने की और अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरने का आदेश दिया गया है।

5. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी नं.1 पी. डब्ल्यू.-1 श्रीमती मंजुला देवी के पति का बड़ा भाई है। यह आरोप लगाया गया है कि पारिवारिक संपत्ति के संबंध में भाइयों के बीच दीवानी विवाद थे। शिवरात्रि त्योहार के दिन 23.02.2009 को लगभग 08 बजेः30 बजे, जब पीडब्लू-1 का पति मंदिर गया था, जब पीडब्लू-1 अपनी माँ और बच्चों के साथ घर में थी, लगभग 09 बजेः30 बजे, आरोपी संख्या-1 अभियुक्त संख्या के साथ 2

से 4 ने छप्पर पर मिट्टी का तेल फेंका पीडब्लू-1 के घर के सामने स्थित शेड में आग लगा दी। प्रदर्श-1 के तहत पुलिस के समक्ष दर्ज शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि सभी अभियुक्तों ने अपराध किया है, इसलिए सभी पर भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 436 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि छप्पर वाले शेड में आग लगाने के बाद सभी आरोपी मोटरसाइकिल पर घटना स्थल से भाग गए।

6. अभियोजन पक्ष का मामला है कि सूचना मिलने पर चामराजनगर ग्रामीण पुलिस स्टेशन के ए॰एस॰आई पीडब्लू-7 मौके पर पहुंचे और पीडब्लू-1 से लिखित शिकायत प्राप्त की और इसके आधार पर आरोपी नंबर 1 के खिलाफ मामला दर्ज कियाऔर अनुसंधान पूरा होने पर अभियुक्त संख्या 1 से ४ के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 436 सहपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 1 से 4 पर आरोप गठित किया गया| अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और विचरण का दावा किया।

7. अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों से पूछताछ की और दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श P1 से P3 तक के लिए चिह्नित किया। विद्वान लोक अभियोजक और अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने के बाद, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को कथित अपराध का दोषी पाया और दोषसिद्धि दर्ज की और जुर्माने की सजा सुनाई।

8. यह दलील देते हुए कि अभियुक्त पर लगाया गया जुर्माना दंड बढ़ाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 436 के अनुरूप नहीं है, राज्य ने अपील दायर की और दर्ज की गई दोषसिद्धि और लगाए गए जुर्माने पर सवाल उठाया। 1 से 4 ने भी अपील को प्राथमिकता दी है। अपीलीय अदालत के समक्ष, धारा 391, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन के साथ अतिरिक्त दस्तावेज दायर किए गए थे। उक्त आवेदन की अनुमति दी

गई थी और दस्तावेजों को प्रदर्श D1 से D4 के रूप में चिह्नित किया गया था।उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का उल्लेख करते हुए अभियुक्त की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है और अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है। 2 से 4 तक और राज्य की अपील को भी अनुमति दी और आरोपी नं.1 से छह महीने के लिए साधारण कारावास और Rs.50,000/- का जुर्माना, चूक में डेढ़ महीने की आगे की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरन होगा।

9. इन अपीलों में, हमने अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद संजय एम. नुली और प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी. एन. रघुपति को सुना है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि अभिलेख पर कोई स्वीकार्य सबूत नहीं है, लेकिन निचली अदालत और अपीलीय अदालत ने गलती से दोषसिद्धि दर्ज की है और सजा सुनाई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. डब्ल्यू.-1 से 3 की इच्छुक गवाही को छोड़कर आरोप को साबित करने के लिए किसी अन्य स्वतंत्र चश्मदीद गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हालाँकि पीडब्लू-1 से 5 के मौखिक साक्ष्य में भौतिक विरोधाभास थे, लेकिन कहा गया कि साक्ष्य पर निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी उचित रूप से विचार नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि अपीलीय न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के तहत आवेदन के साथ अतिरिक्त साक्ष्य दायर किया जाता है, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाता है।यह तर्क दिया जाता है कि यद्यपि राज्य अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, दोषसिद्धि दर्ज की जाती है और अपीलार्थी-अभियुक्त नं.1 दूसरी ओर, यह राज्य का मामला है कि पीडब्लू-1 से 5 का मौखिक साक्ष्य सुसंगत है और वही अपीलार्थी के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए पर्याप्त है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भाइयों के बीच संपत्ति विवादों

को देखते हुए, अभियुक्त नं 1 अभियुक्त संख्या के साथ। 2 से 4 ने जानबूझकर घर में आग लगा दी है, इसलिए निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने सही तरीके से दोषसिद्धि दर्ज की और सजा सुनाई।यह प्रस्तुत किया जाता है कि सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 436 के तहत अभियुक्त की दोषसिद्धि दर्ज करने के बाद भी केवल अभियुक्त पर जुर्माना लगाया है और यह भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 436 के विपरीत है। इस प्रकार, राज्य ने उस अपील को प्राथमिकता दी है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा छह महीने की सजा और Rs.50,000/- का जुर्माना लगाकर उचित रूप से अनुमति दी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दर्ज की गई उक्त दोषसिद्धि और दी गई सजा में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

10. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमने अभिलेख पर सामग्री और मौखिक साक्ष्य का भी अध्ययन किया है जो कागजी पुस्तक में अभिलेख पर रखा गया है।

11. पीडब्लू-1 श्रीमती. मंजुला देवी, जो वादी थी, आरोपी नं. 1 यह उसका मामला था कि शिवरात्रि के त्योहार के दिन जब उसका पति मंदिर गया था, तो वह अपनी माँ और बच्चों के साथ घर में थी। पीडब्लू-1 अभिजीत के बेटे से पीडब्लू-2 और आरोपी की मां से पीडब्लू-3 के रूप में पूछताछ की गई। पीडब्लू-1 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना की तारीख को कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर जब वह अपने बेटे पीडब्लू-2 के साथ बाहर गई तो उन्होंने आरोपी नं.1 केरोसिन कैन पकड़े हुए और शेष आरोपी उसके साथ थे और आरोपी नं 1 ने छप्पर वाले शेड पर मिट्टी का तेल फेंका और उसमें आग लगा दी। पीडब्लू-1 ने अपने बयान में पीडब्लू-3 की उपस्थिति के बारे में बिल्कुल नहीं कहा है। पुलिस के समक्ष दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तों सहित पाँच व्यक्तियों ने अपराध किया है, लेकिन आरोप पत्र में केवल आरोपी संख्या 1 से 4 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। पीडब्लू-1 ने Ex. P1 के तहत अपनी शिकायत में

कहा कि उसने मोटर साइकिल की आवाज सुनकर सतर्क हो गई लेकिन अपने बयान पर आकर उसने कहा कि कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर वह घर से बाहर आई है और घटना को देखी है। मान लीजिए, यह घटना लगभग 09;30 बजे हुईः उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन शाम 9;30 बजे तक पर्याप्त रोशनी नहीं थी, तब तक आरोपी की पहचान करना संभव नहीं था। यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं था कि गवाह ने आरोपी व्यक्तियों को आग से निकलने वाली रोशनी में देखा था। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य और मजार की सामग्री में भौतिक विरोधाभास हैं। बयान में, पीडब्लू-1 और 2 ने कहा है कि किताबें और कपड़े जलाए गए थे, मजार में दर्ज बयान के विपरीत जिसमें केवल पीठ के पंखे और छत को आंशिक रूप से जलाया गया है। मसौदा तैयार किए गए महाजार में किताबों और कपड़ों को जलाने के बारे में कोई फुसफुसाहट नहीं है, और गवाहों के साक्ष्य में पंखे को जलाना स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। अभियोजन पक्ष का मामला है कि आरोपी फूस के शेड में आग लगाने के बाद मोटर साइकिलों पर भाग गए, लेकिन पंजीकरण संख्या आदि से किसी भी मोटर साइकिल की पहचान नहीं थी। पीडब्लू-2 घटना के समय पीडब्लू-3 की उपस्थिति के बारे में भी चुप है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी पारिवारिक संपत्तियों के संबंध में भाइयों के बीच दीवानी विवाद लंबित थे और अभिलेख पर साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि घटना की तारीख से दो-तीन दिन पहले दोनों भाइयों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज की हैं, जिसके आधार पर भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 323, 324, 341, 504, 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2009 का अपराध Nos. 36 और 2009 का 37 20.02.2009 दर्ज किया गया था। एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज किए गए ऐसे विवादों और शिकायतों को देखते हुए, झूठी शिकायत करके आरोपी को फंसाने की संभावना है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीडब्लू-1 ने अपने बयान में यह बिल्कुल नहीं कहा है कि घटना के समय पीडबल्यू -3 घर से बाहर आया है। जिरह में, उसने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी नं-1 रेशम उत्पादन विभाग में काम कर रहा है और उन

स्थानों पर रह रहा है जहाँ वह तैनात था। उसे एक सुझाव भी दिया गया था जिसमें कहा गया था कि आरोपी नं 1 मैसूर में काम करने वाले और रहने वाले रेशम उत्पादन के संयुक्त निदेशक हैं और वे बदनागुप्पे गाँव में नहीं रह रहे हैं। पीडब्लू-2 और 3 ने अपने बयानों में कहा है कि वे आउटहाउस में रह रहे थे।यह अभियुक्त का मामला है कि उक्त आउटहाउस फार्म हाउस में स्थित है और फार्म हाउस और बदनागुप्पे गाँव के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। पीडब्लू-2 ने जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि कुटीरा को फार्महाउस में रखा गया था और फार्महाउस और बदनागुप्पे गांव के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। ए के साक्ष्य के विपरीत पीडब्लू-1 और 2, जिन्होंने मौखिक साक्ष्य में पीडब्लू-3, पीडब्लू-3 की उपस्थिति के बारे में बात नहीं की है, ने कहा है कि वह घटना की तारीख को पीडब्लू-1 और 2 के रोने पर भी सामने आई हैं और घटना की गवाह हैं। गाँव के निवासी होने का दावा करने वाले पीडब्लू-4 से भी अभियोजन पक्ष की ओर से पूछताछ की गई। अपने साक्ष्य में, उसने कहा है कि पीडब्लू-1 और उसका पति पिछले तीन-चार वर्षों से फार्म हाउस में रह रहे थे, लेकिन साथ ही जिरह में उसने कहा है कि वह पीडब्लू-1 के पति का अच्छा दोस्त है और दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पीडब्लू-5 महाजार का पंच गवाह है। जिरह में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जब तक वह घटना स्थल पर गया, तब तक पुलिस महाजार तैयार कर रही थी। पीडब्लू-5 को एक सुझाव दिया गया था कि उनके और पीडब्लू-1 के पति के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। पीडब्लू-7, सहायक उप-निरीक्षक ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि मंजूनाथ के बगीचे में स्थित बदनागुप्पे गांव से फोन आने पर पीडब्लू-1 के पति को आग लग गई है, वह मौके पर गए और तब तक शेड जल चुका था। जिरह में, पीडब्लू-7 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि शेड में कोई नहीं रह रहा था और आवासीय घर अलग है लेकिन बच्चे पढ़ाई के लिए शेड का उपयोग कर रहे थे। पीडब्लू-7 का कहा गया साक्ष्य पीडब्लू-2 और 3 के साक्ष्य के विपरीत है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीडब्लू-1, उनके पति और बच्चे

शेड में रह रहे थे ।यह साबित करने के लिए कि पीडब्लू-1 से 3 गांव में रह रहे थे और जबकि विचाराधीन शेड पीडब्लू-1 के पति के फार्म हाउस में स्थित है, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में दस्तावेजी साक्ष्य दायर किया गया था और कहा गया था कि दस्तावेजों को प्रदर्श D1 से डी4 के रूप में चिह्नित किया गया था। यद्यपि उक्त दस्तावेज प्राप्त हुए थे और उन्हें संदर्भित किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता है।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में भौतिक विरोधाभास हैं और इसके अलावा, पीडब्लू-1 से 3 की इच्छुक गवाही को छोड़कर, किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति से घटना के प्रत्यक्ष गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की जाती है। पीडब्लू-1 से 7 तक के साक्ष्य और अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर दस्तावेजी साक्ष्य में भौतिक विरोधाभासों को देखते हुए, जिस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता है, हमारा विचार है कि निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गंभीर त्रुटि की है कि अभियुक्त नं 1 ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 436 के तहत दंडनीय अपराध किया है। ऊपर उल्लिखित भौतिक विरोधाभासों पर निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी के खिलाफ उसके खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करने और सजा देने के लिए विकृत निष्कर्ष निकले। अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करते हुए, और विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले में, हमारा विचार है कि यदि विवादित निर्णयों को खड़े होने की अनुमति दी जाती है तो यह न्याय की विफलता का कारण बन जाएगा, इस प्रकार, विवादित निर्णयों को दरकिनार किया जाना उचित है।

13. उपरोक्त कारणों से, हम इन अपीलों में योग्यता पाते हैं। तदनुसार, इन आपराधिक अपीलों को जिला और सत्र न्यायाधीश, चामराजनगर की फाइल पर 2009 के सत्र मामले No. 59 में दिनांक 17.01.2011 के फैसले में दर्ज की गई दोषसिद्धि और

सजा और 2011 की आपराधिक अपील संख्या 531 और 248/ 2011 में उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.06.2017 के फैसले को निरस्त करने की अनुमति दी जाती है। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी-अभियुक्त को आरोप से बरी कर दिया जाता है और अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड, यदि कोई हो, को बरी कर दिया जाता है। अपीलार्थी-अभियुक्त अपने द्वारा जमा की गई जुर्माने की राशि की वापसी का हकदार है।

अपील स्वीकृत किया गया।

शरंग धर उपाध्याय